न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री मुकेश कुमार,चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 7/2024 (अपील)

उनवान

राधेश्याम आत्मज श्री भंवरलाल जी जाति काछी उम्र 69 वर्ष निवासी करवाड़ तह0 पीपल्दा जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये क्षैत्रीय वन अधिकारी इटावा तहसील पीपल्दा, जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री रामबाबू मालव (अभिभाशक अपीलाण्ट)
2. पेरोकार (राजकीय पेरोकार रेस्पोडेण्ट की ओर से)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी निर्णय दिनांक 18.09.2023 मिसल नम्बर 12/2023
न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं उपवन संरक्षक,वन मण्डल कोटा

निर्णय दिनांक : 20.03.2024

1. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून एंव पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एंव साक्ष्यों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित हुऐ।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. अपीलाण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का अपील बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्रीय वन अधिकारी की झूंठी रिपोर्ट के आधार पर ग्राम बड़ौदिया रोहली की वन विभाग की भूमि ख0न0 105 की रकबा 1.09 हे0 आराजी पर अपीलाण्ट को अतिकमी मानकार 01 माह का सिविल कारावास एवं तावान राशि 5000/– रूपये की सजा का आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को समुचित साक्ष्य एवं जवाबदेही का अवसर दिये बिना ही मात्र क्षेत्रीय वन अधिकारी के बयानो के आधार पर निर्णय पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिकमी घोषित करने के संवध में ऐसा कोई पूर्व का रेकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा भूमि से कब्जा छोड दिया है तथा वर्तमान में किसी भी सरकारी भूमि/वन भूमि पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.09.2023 को आदेश पारित किया गया है जिसकी पालना में अपीलाण्ट को बेदखली हेतु दबाव बनाने पर अपीलाण्ट को सर्वप्रथम जानकारी हुई

अति. जिला कलक्टर
कोटा

FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

<u>अज अदालतः—अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा</u>

राधेश्याम बनाम सरकार जर्ये क्षेत्रीय वन अधिकारी इटावा
तहसील पीपल्दा जिला कोटा

किस्म मुकदमा नं0 7 / 2024 2024/13
प्रा0पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20-3-2024	पत्रावली पेश हुई । वकील प्रार्थी व अप्रार्थी के वकील उपस्थित । प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जावे । चूंकि मूल अपील मे निर्णय पारित किया जा चुका है । अतः अब इस प्रार्थना पत्र मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है । प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर बाद तकमील मूल अपील के साथ संलग्न हो ।	